हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 88

वीरवार, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद,1942 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न काल आरम्भ करने से पूर्व ही श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने उनके तथा उनके दल के अन्य सदस्यों द्वारा नियम-67 के अंतर्गत दिए गए स्थगन प्रस्ताव की ओर माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात रखना शुरू की।

अध्यक्ष ने ज्यों ही अपना मन्तव्य प्रकट करना शुरू किया, विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुरोध किया।

(**11.10 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।**)

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"माननीय सदस्यों **सर्वश्री जगत सिंह नेगी, मोहन लाल ब्राक्टा, नन्द लाल** व **डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल** से आज

दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को 09.42 बजे पूर्वाह्न नियम-67 के अंतर्गत एस0सी0/एस0टी0 को सरकारी नौकरियों में आरक्षण न देने से इस वर्ग का शोषण होने और एस0सी0 कंपोनेंट प्लॉन एण्ड ट्राइबल सब-प्लॉन के धन का आबंटन सही तरीके से न होने संबंधी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्यों ने जो सूचनाएं दी हैं, वे दो अलग-अलग विषयों पर दी गई हैं। प्रस्ताव में एक विषय आरक्षण और दूसरा धनराशि के आबंटन से संबंधित हैं। नियम-67 के अंतर्गत उप-नियम 3 और 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि नियम-67 के अंतर्गत विषय हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा तथा प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर संकल्प प्रस्तुत किया जा सके। इस संबंध में माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी से नियम-130 के तहत भी प्रस्ताव चर्चा हेतु प्राप्त हुआ है जिसे सरकार को टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए इस विषय को नियम-296 (3) के अंतर्गत नियम-130 में परिवर्तित करता हूं।

दूसरे, जिस तरीके से यहां पर श्री जगत सिंह नेगी जी ने इस प्रस्ताव का संदर्भ न रख इस सदन में अपनी बातों से सनसनी पैदा करने की कोशिश की है; इस चेयर से क्या रूलिंग आई है या आनी है, उसको नज़रअंदाज किया है, वह सरासर गलत है। यह भी कहा गया कि मेरे चैंबर में मुख्य मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री आते-जाते रहते हैं। मुख्य मंत्री जी इस सदन के नेता है और श्री सुरेश भारद्वाज जी संसदीय कार्य मंत्री हैं। पिछले कल विपक्ष के नेता भी मेरे पास पौना घंटा बैठ कर गये। उससे पहले दोपहर के समय इन्हीं के 8 माननीय सदस्य मेरे चैंबर में बैठकर अलग-अलग विषयों पर चर्चा करके व अपनी बातें रख कर गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष का चैंबर सत्तापक्ष और विपक्ष सभी के लिए खुला रहता है। आप वहां अपनी बात रख सकते हैं।"

मुख्य मंत्री ने विपक्ष द्वारा बहिर्गमन की भर्त्सना करते हुए कहा कि विपक्ष में तालमेल की नितांत कमी है। सरकार द्वारा इतनी लंबी अवधि के लिए मॉनसून सत्र का आयोजन करने पर भी विपक्ष चर्चा में रुचि नहीं ले रहा है जबकि सत्ता पक्ष सभी विषयों पर प्रभावी उत्तर देने के लिए तैयार है। मुख्य मंत्री ने विपक्ष द्वारा आसन के प्रति टिप्पणी करने तथा विषयों पर चर्चा किए बिना ही बहिर्गमन करने के रवैये की कड़ी निंदा की।

संसदीय कार्य मंत्री ने बहिर्गमन की निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा यह कहना कि मुख्य मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री माननीय अध्यक्ष के कक्ष में थे, सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन के उचित संचालन को लेकर सदन के नेता तथा संसदीय कार्य मंत्री को कई अवसरों पर माननीय अध्यक्ष, सचिव विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों से बात करना आवश्यक होता है।

(**12.32 बजे अपराह्न विपक्ष के सदस्य पुनः सदन में आए।**)

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या : 3214 पर श्री सुभाष ठाकुर (प्राधिकृत) ने अनुपूरक प्रश्न पूछे। तारांकित प्रश्न संख्या : 3215 पर शहरी विकास मंत्री (प्राधिकृत) ने अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। तारांकित प्रश्न संख्या 3216 से 3219 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए। तारांकित प्रश्न संख्याः 3220 से 3261 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न :

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1206 से 1239 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 (01-04-2018 से 31-03-2019) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के

लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखी।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री के 70वें जन्म-दिवस पर उन्हें अपनी तथा सदन की ओर से शुभ-कामनाएं देते हुए आशा प्रकट की कि देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा।

मुख्य मंत्री ने वयोवृद्ध माननीय सदस्य एवं पूर्व मुख्य मंत्री **श्री वीरभद्र सिंह जी** के सदन में उपस्थित होने पर उनका हार्दिक स्वागत किया।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य ने नागरिक अस्पताल रोहडू में एक्स-रे मशीन पिछले 6 महीने से खराब होने और इसके फलस्वरूप स्थानीय जनता को भारी परेशानी का सामना करने संबंधी विषय उठाया।

मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि सिविल अस्पताल रोहडू में एक्स-रे मशीन को शीघ्र ठीक करवाया जाएगा।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री रविन्द्र कुमार** ने "भू-संरक्षण विभाग पालमपुर द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत आबंटित की गई धनराशि" से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री सुरेन्द्र शौरी** ने "सैंज विद्युत परियोजना से विस्थापित हुए परिवारों को रोज़गार/मुआवजा न मिलने" से उत्पन्न स्थिति की ओर बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य** ने नियम-130 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

"बिज़ली की दरों में हुई बढ़ौतरी पर यह सदन विचार करे।"

श्री राम लाल ठाकुर व **श्री राजेन्द्र राणा** (सह-प्रस्तावक) ने प्रस्ताव पर चर्चा की -

निम्नलिखित ने भी चर्चा में भाग लिया -

1. श्री मोहन लाल ब्राक्टा

(01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 02.25 बजे अपराह्न श्री हंस राज माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।)

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

2. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
3. श्री राकेश जम्वाल

(02.45 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

4. श्री जगत सिंह नेगी
5. श्री विनोद कुमार
6. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राम लाल ठाकुर, श्री हर्षवर्धन चौहान तथा **इन्द्र दत्त लखनपाल** ने अतिरिक्त सूचना चाही।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने सूचना दी।

<u>अध्यक्ष द्वारा वक्तव्य</u>

जैसा कि आज प्रातः माननीय मुख्य मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि आज देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्म दिवस

है, मैं भी अपने ओर से तथा इस सदन की ओर से माननीय प्रधान मंत्री को उनके 70वें जन्म दिवस पर बधाई एवं शुभ-कामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह एक लंबे समय तक, आने वाले कई वर्षों तक, प्रधान मंत्री के रूप में इस महान राष्ट्र की सेवा करते रहें और हम सबको अपना नेतृत्व प्रदान करते रहें।

5. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

(1) **श्री राकेश सिंघा** ने "दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3050 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

जल शक्ति मंत्री द्वारा (प्राधिकृत) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राकेश सिंघा ने अतिरिक्त सूचना चाही।

शहरी विकास मंत्री ने सूचना दी।

(2) **श्री रमेश चंद ध्वाला** ने "दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3073 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

डॉ0 राजीव सैजल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रमेश चंद ध्वाला ने अतिरिक्त सूचना चाही।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सूचना दी।

सदन की बैठक 04.47 बजे अपराह्न शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।